



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237704
CG-DL-E-29072022-237704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3343]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3508(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, एक 'टीजी स्टेटर' का, कोलाघाट, पश्चिम बंगाल से पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रामगढ़, झारखंड, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स रेशमसिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक 'टीजी स्टेटर' के परिवहन के लिए, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	एमएच-46-बीएम-6939	
2	एमएच-46-एफ-1514	
3	एमएच-46-एच-4364	
4	एमएच-43-यू-4206	
5	केए-01-सी-9296	

6	केए-01-सी-9291	वोल्वो
7	एमएच-46-बीएफ-1049	
8	एमएच 46-बीबी-3192	
9	एमएच-06-एक्यू-6340	
10	एमएच-46-एच-0908	
11	एमएच-46एच-5578	
12	एमएच-46-बीएफ-6951	
13	एमएच-06-एसी-7665	

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एमएच-06-9148	गोल्डहोफ़र	6	108
2.	एमएच-06-9149	गोल्डहोफ़र	4	72
3.	एमएच-06-9150	गोल्डहोफ़र	6	108
4.	एमसीवाई-1719	गोल्डहोफ़र	4	72
5.	एमसीवाई-1720	गोल्डहोफ़र	4	72
6.	एमएच-43-यू-6340	गोल्डहोफ़र	4	72
7.	एमएच-43-यू-6341	गोल्डहोफ़र	8	144
8.	एमएच-43-यू-6342	गोल्डहोफ़र	8	144
9.	एमएच-46-एआर-1830	गोल्डहोफ़र	4	72
10.	एमएच-46-एआर-1831	गोल्डहोफ़र	4	72
11.	एमएच-46-एआर1832	गोल्डहोफ़र	8	144
12.	एमएच-46-एआर1833	गोल्डहोफ़र	4	72
13.	एमएच-46-एच-5554	गोल्डहोफ़र	6	108
14.	जीजे-12-एटी-9249	गोल्डहोफ़र	4	72
15.	जीजे-12-एटी-9250	गोल्डहोफ़र	4	72
16.	जीजे-12-एटी-9251	गोल्डहोफ़र	4	72
17.	एचआर-55-एम-7282	गोल्डहोफ़र	4	72
18.	एचआर-55-एम-7283	गोल्डहोफ़र	4	72
19.	एचआर-55-एम-7297	गोल्डहोफ़र	4	72
20.	एचआर-55-एम-7298	गोल्डहोफ़र	4	72
21.	एचआर-55-एम-7299	गोल्डहोफ़र	4	72
22.	एमएच-06-एक्यू-3568	गोल्डहोफ़र	4	72
23.	एमएच-06-एक्यू-3569	गोल्डहोफ़र	3	54
24.	एमएच-06-एक्यू-3570	गोल्डहोफ़र	3	54
25.	एमएच-43-यू-4678	गोल्डहोफ़र	6	108
26.	एमएच-46-एच-6297	गोल्डहोफ़र	6	108

27.	एमएच-46-एआर-5401	गोल्डहोफर	6	108
28.	एचआर-55-एजी-0730	गोल्डहोफर	4	72

4. यान और भार विन्यास:—लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा:—

खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मिलीमीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
112 टन + 105 टन (गर्डर ब्रिज का वजन) कुल-217 टन	462 टन	679.00 टन	21.22 टन	11660 x 5090 x 4850	16 धुरी पंक्तियां + गर्डर ब्रिज + 16 धुरी पंक्तियां सीधी रेखा में युग्मित । (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
84 टन	462 टन	546.00 टन	22.75 टन	11660 x 5090 x 4850	16(1+1/2) धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि—

(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग कोलाघाट, पश्चिम बंगाल से पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रामगढ़, झारखंड (465 किमी), तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा—

कोलाघाट जेट्टी, पश्चिम बंगाल से ओरमांझी, झारखंड तक (गर्डर ब्रिज पर) :—

कोलाघाट जेट्टी- पंसकुरा- घाटशिला- जमशेदपुर- चांडील- बुंडू- रामपुर- टेट्टी- सिथियो- बलोंग- कामरे-ओरमांझी-(गर्डर ब्रिज पर); तथा

ओरमांझी, झारखंड से पतरातू परियोजना स्थल, झारखंड तक 16 (1+1/2) एक्सल संयोजनों पर :—

रामगढ़ छावनी - बरकाकाना - बलकुर्दा - पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखंड ।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड, डिवाइडर को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स रेशमसिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।

- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा.सं. आरटी-11042/05/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of one 'TG Stator' from Kolaghat, West Bengal to Patratu Vidyut Utpadan Nigam Ltd., Ramgarh, Jharkhand by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Reshamsingh and Company Private Limited is the transporter of M/s Bharat Heavy Electricals Limited, Haridwar for transportation of one 'TG Stator' for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:—

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	MH-46-BM-6939	Volvo
2.	MH-46-AF-1514	
3.	MH-46-H-4364	
4.	MH-43-U-4206	
5.	KA-01-C-9296	
6.	KA-01-C-9291	
7.	MH-46-BF-1049	
8.	MH-46-BB-3192	
9.	MH-06-AQ-6340	
10.	MH-46-H-0908	
11.	MH-46-H-5578	
12.	MH-46-BF-6951	
13.	MH-06-AC-7665	

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:—

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	MH-06-9148	GOLDHOFER	6	108
2.	MH-06-9149	GOLDHOFER	4	72
3.	MH-06-9150	GOLDHOFER	6	108
4.	MCY-1719	GOLDHOFER	4	72
5.	MCY-1720	GOLDHOFER	4	72
6.	MH-43-U-6340	GOLDHOFER	4	72
7.	MH-43-U-6341	GOLDHOFER	8	144
8.	MH-43-U-6342	GOLDHOFER	8	144
9.	MH-46-AR-1830	GOLDHOFER	4	72
10.	MH-46-AR 1831	GOLDHOFER	4	72
11.	MH-46-AR 1832	GOLDHOFER	8	144
12.	MH-46-AR 1833	GOLDHOFER	4	72
13.	MH-46-H-5554	GOLDHOFER	6	108
14.	GJ-12-AT-9249	GOLDHOFER	4	72
15.	GJ-12-AT-9250	GOLDHOFER	4	72
16.	GJ-12-AT-9251	GOLDHOFER	4	72
17.	HR-55-M-7282	GOLDHOFER	4	72
18.	HR-55-M-7283	GOLDHOFER	4	72
19.	HR-55-M-7297	GOLDHOFER	4	72
20.	HR-55-M-7298	GOLDHOFER	4	72
21.	HR-55-M-7299	GOLDHOFER	4	72
22.	MH-06-AQ-3568	GOLDHOFER	4	72
23.	MH-06-AQ-3569	GOLDHOFER	3	54
24.	MH-06-AQ-3570	GOLDHOFER	3	54
25.	MH-43-U-4678	GOLDHOFER	6	108
26.	MH-46-H-6297	GOLDHOFER	6	108
27.	MH-46-AR-5401	GOLDHOFER	6	108
28.	HR-55-AG-0730	GOLDHOFER	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:—Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:—

Unladen Weight of axles in Tons	Weight of Consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load Per Axle line	Overall dimension of consignment (in mm) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
112 MT + 105 MT (Weight of Girder Bridge) Total-217 MT	462 MT	679.00 MT	21.22 MT	11660 x 5090 x 4850	16 Axles + Girder Bridge + 16 Axles rows coupled in straight line (8 tyres per axle row)
84 MT	462 MT	546.00 MT	22.75 MT	11660 x 5090 x 4850	16(1+1/2) axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:—

- The specific route for transportation of the consignment will be from Kolaghat, West Bengal to Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited, Ramgarh, Jharkhand (465 Km) by road through-
From Kolaghat jetty, West Bengal to Ormanjhi, Jharkhand (On Girder Bridge) :-

Kolaghat Jetty- Panskura-Ghatshila -Jamshedpur – Chandil – Bundu – Rampur – Tetri – Sithiyo – Balalong-Kamre – Ormanjhi – (On Girder Bridge); and

From Ormanjhi, Jharkhand to Patratu Project site, Jharkhand on 16 (1+1/2) Axles combinations :-

Ramgarh Cantonment – Barkakana – Balkurda – Patratu Vidyut Utpadan Nigam Ltd, Jharkhand.

- ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions, from the concerned Departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, divider, transmission line shutdown etc. and follow such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and relocation of any object, permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Reshamsingh and Company Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Karnataka, Gujarat and Maharashtra.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/05/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.